



गोण्डा, गोरखपुर, वाराणसी फैजाबाद, इलाहाबाद, मिर्जापुर नगरों की सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी



नीलामी स्थल:
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय,
जवाहर नगर, वाराणसी

लाटरी ड्रा से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियां

भवनों/भूखण्डों का प्रकार	सं.	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	आरक्षित दर (प्र.व.मी./अनु.मू. फ्री-होल्ड सहित (रु. लाख में)	टोकन मनी/पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)
--------------------------	-----	------------------------	---	---------------------------------------

भरतपुरी योजना, गोण्डा				
आ. भू. - पी - 1989, 1990	02	41.81	4704.00	0.10

नीलामी से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियां

झूंसी योजना संख्या-3, इलाहाबाद				
म. आ. वर्ग भवन संख्या-2/15 के साथ लगी अतिरिक्त भूमि	01	53.55	7840.00	0.21

सूरजकुण्ड योजना, गोरखपुर				
आ. भूखण्ड - बी-71/18 सामान्य	01	200.00	8290.00	0.83
आ. भूखण्ड - बी-71/19 "	01	199.00	9120.00	0.91
आ. भूखण्ड - डी-10 "	01	232.00	8290.00	0.97
आ. भूखण्ड - डी-2/1 "	01	255.00	8290.00	1.06

देव प्रयागम् योजना, इलाहाबाद				
आ. भूखण्ड-बी-7 (सामान्य वर्ग)	01	288.00	6720.00	0.97

कबीर नगर योजना, वाराणसी				
आ. भ. मा.आ.वर्ग-1/8(अनु. जाति)	01	16.09	7.25	0.37
आ. भ. मा.आ.वर्ग-1/14(अ.पि.वर्ग)	01	16.09	7.25	0.37

नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियां

कबीर नगर योजना, वाराणसी				
दुकान - एस.-1/11	01	7.17	10.64	1.07

शाहपुर योजना संख्या-2/3, गोरखपुर				
दु.-एल.जी.एफ.एस.-2,3,4,5,8,9,10,11	08	9.633	7.00	0.70
दुकान - यू.जी.एफ. एस-8, 9	02	9.633	4.57	0.46
दुकान - एल.जी.एफ. एस-7	01	9.922	4.71	0.48
दुकान - एल.जी.एफ. एस-1,6,7,12	04	9.922	7.22	0.73

झूंसी योजना संख्या-2, इलाहाबाद				
दुकान संख्या - एस - 2/12	01	15.82	7.80	0.78
दुकान संख्या - एस - 2/13, 14	02	9.60	4.82	0.49
दुकान संख्या - एस - 2/33	01	13.59	4.32	0.44
दुकान संख्या - एस - 2/11	01	16.56	8.31	0.83
दुकान संख्या - एस - 2/10	01	14.32	7.20	0.72

आवंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप (1) योजना/शहर का नाम (2) भवन/भूखण्ड संख्या व क्षेत्रफल (3) आवेदक का नाम (4) पिता/पति का नाम (5) पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता (6) दूरभाष/मोबाईल नम्बर, ईमेल आई.डी. (7) आरक्षण श्रेणी (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें) (8) संलग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट का विवरण-बैंक ड्राफ्ट संख्या, दिनांक (10) निर्गतकर्ता बैंक का नाम, धनराशि (10) भुगतान का विकल्प, आवेदक के हस्ताक्षर तिथि स्थान.....

सील बिल का प्रारूप (1) योजना/शहर का नाम (2) सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल (3) आरक्षित मूल्य (4) ऑफर मूल्य/दर (जिस पर आवेदक सम्पत्ति चाहते हैं) (5) टोकन के रूप में बयाना धनराशि रु... (6) बैंक ड्राफ्ट संख्या, दिनांक (7) नाम (8) पिता/पति का नाम, (9) आरक्षण श्रेणी (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें) (10) पत्र व्यवहार का पता (11) दूरभाष/मोबाईल नम्बर, ईमेल आई. डी., हस्ताक्षर (12) दिनांक, स्थल, नाम, पिता/पति का नाम, संस्थान/फर्म/कम्पनी का नाम, पूरा पता

घोषणा पत्र का प्रारूप (आवेदन एवं सील बिल दोनों के साथ आवश्यक) (1) मैंने स्थल पर सम्पत्ति को देख लिया है। मैं पूर्णरूप से संतुष्ट हूँ। सम्पत्ति "जहाँ है जैसी है" के आधार पर लेने के लिए सहमत हूँ (2) मेरे, पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों के नाम सम्बन्धित..... शहर में कोई भवन/भूखण्ड नहीं है एवं उत्तर प्रदेश के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं हैं (3) मेरे, पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों की 2010-11 की समस्त श्रोतों से आय रु.... से अधिक नहीं है। (4) मुझे उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की सभी अध्यावधिक नियम व शर्तें मान्य हैं। तिथि ... स्थान ... आवेदक के हस्ताक्षर व पता ...

नीलामी/सील बिल फार्म प्राप्त करने के पते निम्नलिखित हैं सभी नगरों हेतु : कार्यालय सहायक आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस कम शॉपिंग काम्पलेक्स, जवाहर नगर, (भूलपुर) वाराणसी। (क) वाराणसी, बलिया, मिर्जापुर हेतु- स.प्र. कार्यालय, जवाहर नगर, वाराणसी। (ख) गोरखपुर हेतु- स.प्र. कार्यालय सूरजकुण्ड, गोरखपुर। (ग) इलाहाबाद हेतु- स.प्र. कार्यालय, 50/6, आलोपी बाग, इलाहाबाद। (घ) फैजाबाद हेतु- स.प्र. कार्यालय अंगूरी बाग, फैजाबाद। (ङ) गोण्डा हेतु- स.प्र. कार्यालय, भरतपुरी योजना, गोण्डा।

नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियां

सम्पत्तियों का प्रकार/संख्या	सं.	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	आरक्षित दर (अनु.मू. फ्री-होल्ड सहित (प्रति वर्ग मी.))	एफ० ए० आर०	ग्राउण्ड कवरेज	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)	टोकनमनी/पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)
------------------------------	-----	------------------------	---	------------	----------------	------------------------	--------------------------------------

पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी							
कम्युनिटी सेंटर-3ए-2(लीज पर)	01	3053.68	8512.00				26.00
कम्युनिटी फैंसिलिटी-1 (लीज पर)	01	1031.19	12768.00				13.17
कम्युनिटी फैंसिलिटी-2 (लीज पर)	01	1480.00	12768.00				18.90

अवधपुरी योजना, फैजाबाद							
व्यवसायिक भूखण्ड-सी.पी.-6ए,7	02	368.50(प्रति)	9408.00				3.47
व्यवसायिक भूखण्ड-सी.पी.-6बी	01	243.81	9408.00				2.30

रुस्तमपुर तिवारीपुर योजना, गोरखपुर							
व्यवसायिक भूखण्ड-सी.पी.-1	01	62.33	16576.00				1.04
व्यवसायिक भूखण्ड-सी.पी.-4	01	80.89	16576.00				1.34
व्यवसायिक भूखण्ड-सी.पी.-2	01	66.64	16576.00				1.11
व्यवसायिक भूखण्ड-सी.पी.-3	01	71.94	16576.00				1.20

झूंसी योजना संख्या-3, इलाहाबाद							
नर्सिंग होम भूखण्ड - 15/3	01	455.00	15680.00	1.5	35	15 मीटर	7.14

महादेव झारखण्डी योजना, गोरखपुर							
दुकान संख्या - एस - 7	01	12.69	5.05				0.51
दुकान संख्या - एस - 10	01	8.53	3.40				0.34

शाहपुर योजना संख्या-1, गोरखपुर							
व्यवसायिक भूखण्ड-सी.पी.-1	01	81.00	19488.00				1.58

डोमरौली योजना, मिर्जापुर							
व्यवसायिक भूखण्ड-105	01	174.00	12320.00	1.5	50	15 मीटर	2.15
व्यवसायिक भूखण्ड-110	01	144.00	12320.00	1.5	50	15 मीटर	1.78
व्यवसायिक भूखण्ड-114	01	289.45	12320.00	1.5	50	15 मीटर	3.57
दुकान संख्या - एस- 2, 3	02	9.39	3.67				0.37
दुकान संख्या - एस- 6	01	15.15	5.92				0.60
दुकान संख्या - एस- 7	01	18.71	7.30				0.73
दुकान संख्या - एस- 9,10	02	6.667	4.41				0.44
दुकान संख्या - एस- 11	01	8.667	5.72				0.58

नियम व शर्तें (1) आवेदन/सील बिल फार्म सम्बन्धित शहर/योजना के स.प्र. कार्यालय/जोन कार्यालय से भी रु. 100.00 जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। (2) सील बिल/ऑफर अंकित करते हुए रु. 100.00 के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन/सील बिल फार्म कार्यालय से न लेकर उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा कराने की दशा में) एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत तथा आवासीय सम्पत्तियों हेतु 5 प्रतिशत टोकन मनी सहित नीलामी से एक दिन पूर्व (कार्यदिवस) तक सम्बन्धित कार्यालय/जोन कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना चाहिए। (3) आवंटन हेतु आवेदन पत्र तथा नीलामी हेतु सील बिल सम्बन्धित शहर/योजना के लिए उल्लिखित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में अथवा जोन कार्यालय में निम्न पते पर प्राप्त कराया जा सकता है। (4) सम्पत्तियों की संख्या एवं मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। (5) आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन शासनादेश/परिषद के प्रदेशन सम्बन्धित विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लॉटरी पद्धति से किया जायेगा, किन्तु जिन सम्पत्तियों का नीलामी से होने का उल्लेख है उन्हें नीलामी पद्धति से निस्तारित किया जायेगा। (6) आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत का पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट /पे-आर्डर जो "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय होगा, के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 28.07.2012 तथा सील बिल नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व तक (कार्य दिवस में) सायं 5.00 बजे तक उपरोक्त पतों पर प्राप्त हो जाने चाहिए। अथवा नीलामी के समय टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। (7) अपूर्ण एवं सशर्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। (8) सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में "जहाँ है जैसी है" के आधार पर आवंटित की जायेगी। सम्पत्ति की लोकेशन, आकार या स्थलीय स्थिति के आधार पर बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। (9) सम्पत्ति का कब्जा देय भुगतान के बाद ही नियमानुसार निर्धारित स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध/विक्रय-विलेख उपरान्त किया जायेगा। (10) आवेदक अथवा उसका परिवार परिषद द्वारा केवल एक ही आवासीय सम्पत्ति का प्राधिकारी होगा। तथा आवेदक के पास उस नगर में कोई भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उ.प्र. के अन्य किसी नगर अथवा किसी शहरी क्षेत्र में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए। (11) आवेदक एक से अधिक भवन/भूखण्ड हेतु आवेदन की स्थिति में अन्तिम आवंटन हेतु एक ही भवन/भूखण्ड देय होगा तथा शेष आवंटन निरस्त किये जायेंगे। (12) सील बिल देते समय लिफाफे के ऊपर योजना/सम्पत्ति संख्या का उल्लेख न होने पर आवेदन निरस्त माना जायेगा। (13) सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु सम्बन्धित स.प्र. कार्यालय/जोन कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद की वेबसाइट : <http://www.upavp.com> पर/ **Public Notices** के अंतर्गत देखी जा सकती हैं। (14) कारनर की सम्पत्तियों पर परिषद के नियमानुसार 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देय होगा। (15) समस्त प्रकरणों में परिषद के अध्यावधिक नियम व शर्तें प्रभावी होंगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। (16) आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के अनुसार देय होगा।

कार्यालय सहायक आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस कम शॉपिंग काम्पलेक्स, जवाहर नगर, (भूलपुर) वाराणसी। (क) वाराणसी, बलिया, मिर्जापुर हेतु- स.प्र. कार्यालय, जवाहर नगर, वाराणसी। (ख) गोरखपुर हेतु- स.प्र. कार्यालय सूरजकुण्ड, गोरखपुर। (ग) इलाहाबाद हेतु- स.प्र. कार्यालय, 50/6, आलोपी बाग, इलाहाबाद। (घ) फैजाबाद हेतु- स.प्र. कार्यालय अंगूरी बाग, फैजाबाद। (ङ) गोण्डा हेतु- स.प्र. कार्यालय, भरतपुरी योजना, गोण्डा।

आवास आयुक्त

परिषद से सम्बन्धित समस्या हमसे कहें
1800-180-5333 (टोल-फ्री)
यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
(आई०एस०ओ 9001-2000 द्वारा प्रमाणित संस्था)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ
website:<http://www.upavp.com>, E-mail : upavp@sanchar.net.in

